भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-81
दिनांक 29 जनवरी, 2026 को उत्तरार्थ

चौसा ताप विद्युत संयंत्र

81. श्री सुधाकर सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार के बक्सर जिले में स्थित चौसा ताप विद्युत संयंत्र कोयले की अनुपलब्धता या आपूर्ति में रूकावट के कारण अलग-अलग समय के लिए आंशिक या पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो इस विद्युत संयंत्र के आरंभ होने से लेकर अब तक कोयले की कमी के कारण यह कितने दिनों तक बंद रहा है;

(ख) चौसा विद्युत संयंत्र की स्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ), कोयले की आपूर्ति की स्थिति और आज तक बंद रहने की अवधि सहित समेकित आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का राज्य की ऊर्जा सुरक्षा में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, कोयला संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति समझौतों, कोयला सम्मिश्रण या अन्य स्रोतों से खरीद जैसे वैकल्पिक उपायों को अपनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : बिहार के बक्सर जिले के चौसा में स्थित 1320 मेगावाट (2×660 मेगावाट) क्षमता वाली बक्सर ताप विद्युत परियोजना (बीटीपीपी) का क्रियान्वयन एसजेवीएन थर्मल पावर लिमिटेड (एसटीपीएल) द्वारा किया जा रहा है, जो एसजेवीएन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसजेवीएन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सीपीएसई है। परियोजना की यूनिट 1 (660 मेगावाट) ने दिनांक 14.11.2025 को वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त कर ली थी।

सीओडी के पश्चात बिहार राज्य को विद्युत आपूर्ति हेतु इस 'यूनिट' को निरंतर संचालन में रखा गया। इसके बाद ट्रायल-रन पूर्ण होने के उपरांत 'यूनिट' के स्थिरीकरण हेतु कुछ कार्य किए जाने आवश्यक थे, जिसके लिए शटडाउन की आवश्यकता पड़ी। परिणामस्वरूप आवश्यक कार्यों को संपादित करने हेतु 'यूनिट' को दिनांक 15.12.2025 से 04.01.2026 तक 20 दिनों के लिए शटडाउन पर रखा गया।

(ख) : बक्सर ताप विद्युत परियोजना से संबंधित संस्थापित क्षमता, वास्तविक विद्युत उत्पादन (पीएलएफ), कोयला आपूर्ति की स्थिति तथा शटडाउन अवधि का समेकित विवरण निम्नानुसार है:

- **संस्थापित क्षमता:** यूनिट 1 (660 मेगावाट) की कमीशनिंग दिनांक 14.11.2025 को की गई तथा यूनिट 2 (660 मेगावाट) निर्माणाधीन है।
- **विद्युत उत्पादन (14.11.2025 से 14.12.2025):** 55% पीएलएफ पर 268.635 एमयू।
- **विद्युत उत्पादन (05.01.2026 से 16.01.2026):** 70% पीएलएफ पर 91.235 एमयू।
- **कोयला आपूर्ति:** एफएसए (ईंधन आपूर्ति समझौते) के अंतर्गत सीसीएल (सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड) से 2,53,035 मीट्रिक टन कोयला प्राप्त हुआ है (दिनांक 17.01.2026 तक)।
- **शटडाउन अवधि:** दिनांक 15.12.2025 से 04.01.2026 (20 दिन)।

(ग) एवं (घ) : एसटीपीएल ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के साथ दीर्घकालिक आधार पर 20 वर्षों के लिए 85% पीएलएफ पर प्रति वर्ष 4.976 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कोयले की आपूर्ति हेतु ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) किया है। अतः किसी वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने कोयला आधारित क्षमता के लिए कोयले की मांग की पूर्ति हेतु अवसंरचना विकास, नीतिगत सुधार तथा उत्पादन वृद्धि को सम्मिलित करते हुए बहु-आयामी रणनीति अपनाई है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. देश में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। प्रमुख पहलों में सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन कर कैप्टिव खदानों को अंतिम उपयोग संयंत्रों की आवश्यकता पूरी करने के पश्चात अपने वार्षिक उत्पादन के 50 प्रतिशत तक विक्रय की अनुमति देना, माइन डेवलपर एवं ऑपरेटर (एमडीओ) मोड के माध्यम से उत्पादन, सामूहिक उत्पादन प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग, नई परियोजनाओं के शुरुआत एवं मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार तथा वाणिज्यिक खनन हेतु निजी कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक खनन में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति दी गई है।

ii. भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन हेतु संशोधित शक्ति (भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन और आवंटन योजना) नीति को स्वीकृति प्रदान की है। यह संशोधित शक्ति नीति अधिक अनुकूल, व्यापक पात्रता तथा कोयले की बेहतर उपलब्धता के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को सहायता प्रदान करेगी।

iii. आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने एवं सततता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला लॉजिस्टिक्स योजना एवं नीति प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं की पहचान की गई है, जो रेल संपर्क में सुधार, समय पर कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए आवश्यक हैं, जिससे देशभर में कोयला परिवहन की समग्र दक्षता में वृद्धि होगी।

iv. विद्युत क्षेत्र को कोयला आपूर्ति से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है, जिसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, विद्युत मंत्रालय के सचिव तथा कोयला मंत्रालय के सचिव शामिल हैं।

v. कोयला कंपनियों तथा विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एवं सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों वाली एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह कोयला आपूर्ति की निरंतर निगरानी करता है, जो तापविद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु प्रचालन संबंधी विभिन्न निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करते हैं।
